myneta.info
National Election Watch

राजनैतिक दल
(पंजीकरण एवं गतिविधियों का विनियमन आदि)
विधेयक - 2011 (प्रारूप)

(सार्वजनिक राय हेतू)

ADR
ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS

प्रस्तावना

राजनीतिक दलों को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी दिनों से सारगर्भित विधेयक की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। Justice Jeevan Reddy के नेतृत्व वाली विधि आयोग एवं former Chief Justice, M.N. Venkatachaliah के नेतृत्व में संविधान के पुनरीक्षण के लिए बनाई गयी कार्य समिति ने इस विषय पर सुझाव दिया है। चुनाव आयोग एवं कई राजनेताओं एवं बुद्विजीवियों ने भी इस विषय पर अपने –अपने सुझाव दिए है। National Election Watch एवं Association for Democratic Reforms (www.adrindia.org) ने भी इस तरह के बिधेयक की आवश्यकता दुहराई है।

संलग्न विधेयक का प्रारूप एक समिति द्वारा भारत के former Chief Justice, M.N. Venkatachaliah की अध्यक्षता में बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्यों में advocate, Shri Sudhish Pai, Karnataka के former Law Secretary, Shri Kuriya Chamayya, journalist, Shri Arakere Jayaram, former Minister, Shri B. Somashekara एवं Association for Democratic Reforms के Prof. Trilochan Sastry शामिल थे। यह प्रारूप व्यापक बहस के लिए जारी किया जा रहा है। अब संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर यह दायित्व है कि देश की आवश्यकताओं के मद्देनजर इसे सर्वोत्तम स्वरूप प्रदान करे।

संलग्न पृष्ठभूमि में बताया गया हैं कि इस तरह के विधेयक की क्यों आवश्यकता है। प्रारूप विधेयक भी संलग्न है। यहां शायद यह बता देना प्रासंगिक होगा कि कई देशों में ऐसे विधेयक लागू है और आगे से कुछ ने तो इन्हें संविधान में भी शामिल कर लिया है । इस विधेयक में दो महत्वूपर्ण मुद्दे है। इनमें एक है राजनीतिक दलों के अन्दर लोकतंत्र । इसमें दलो के पदाधिकारी के चुनाव/चयन तथा आम चुनावों में उम्मीदवारों के चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रकिया सुनिष्चित करना शामिल है। कई देशों में दलों के पदाधिकारियों के लिए समय– सीमा एवं अवसर की सीमा भी निर्धारित है । दूसरा बिंदु है राजनीतिक दलों **और चुनाव** के निधिकरण (funding) में पारदर्षिता एवं दायित्व निर्धारण । इनके कई बिंदु है **जै**से कि व्यक्तियों और निगमों से प्राप्त होने वाली चंदा की सीमा, दलों अथवा दाताओं

द्वारा उल्लंघन किये जाने पर दंड का प्रावधान, प्रतिबंधित संगठनों द्वारा दिये गए राशि की स्वीकार्यता एंव वैसे समर्थक समूहों द्वारा उम्मीदवारों के लिए किए गए खर्च जो औपचारिक रूप से प्रासंगिक उम्मीदवारों के खर्च में नहीं जोड़ा जाता । हमारे देश में सभी तरह की संगठित गतिविधियों के संचालन के लिए प्रासंगिक कानून है। इनमें कम्पनियां, सहकारी संस्थाएं, बैक, धर्म शालाऐं, समितियों शैक्षिक संस्थाएं, चिकित्सा संस्थान, धार्मिक न्यास, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि शामिल है । किन्तु, 'राजनीतिक दल' शब्द का संविधान में शायद ही कभी उपयोग होता है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विस्तारित कानून नहीं है।

हम आशा करते है की संग्लाग्न दस्तावेज एक सूचित विचार विमर्श के जरिये से इस विधान को उचित आकार देगी ।

Contents

चुनाव सुधारों की पृष्ठभूमि..... 5

प्रस्तावित संशोधन..... 16

राजनीतिक दलों (पंजीकरण एंव गतिविधियों का संचालन आदि) विधेयक 2011..... 19

अध्याय–1 *प्रारंभिक*..... 20

अध्याय–2 *राजनीतिक दल*..... 22

अध्याय–3 *कोष*..... 30

अध्याय–4 *दंड*..... 32

अध्याय–5 *विविध*..... 34

चुनाव सुधारों की पृष्ठभूमि

''मनुष्य को न्याय की आवश्यकता लोकतंत्र को संभव बनाता है, किन्तु मनुष्य का अन्याय के प्रति झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बताता है।''

न्यायाधीष फ्रैंकफर्ट की यादगार प्रतिक्रिया *''लोकतंत्र में कष्ट है, प्रत्येक नागरिकों के समक्ष असुविधाजनक दायित्वों का कष्ट है । जहां पूरी जनता लगातार जनजीवन से अपेक्षित भाग नहीं लेते हों वहां सही अर्थो में लोकतंत्र के कायम हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र का हमेशा चाहत लक्ष्य है न कि सुरक्षित आश्रय जैसे –स्वतंत्रता एक निरंतर प्रयास है, इसी तरह नागरिक हाने से बड़ा किसी देश का कोई भी पद नहीं है।''*

प्रतिनिधिक लोकतंत्र

आधुनिक राष्ट्रों में प्रचीन ग्रीस के समाने लोकतंत्र संभव नहीं है । आधुनिक लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को शासन करने के लिए निर्वाचित करती है। यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। ''प्रतिनिधिक लोकतंत्र में स्वच्छ मत **का विचार** अर्न्तनिहित है । **सार्वजनिक समाज** में आवश्यक है कि **कच्ची और परिवर्तनशील** जनभावना को चुनावी प्रक्रिया के द्वारा **शुद्ध** किया जाए **जिस से** प्रतिनिधियों को बहुमत के असहनशीलता अथवा निहित स्वार्थ के तत्वों से मुक्त होकर विचार **करने और** निर्णय ले**ने का मौका परात्प हो** । इसी तरह प्रतिनिधिक लोकतंत्र का इस समाज के नजदीक पहंचना है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ताकि सरकारी तंत्र में इसकी वैधता बनी रहे।''

हो सकता है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रकार की सरकार नहीं दे सके, किन्तु यह सबसे कम नुकसानदेह है । जनता की भावना की अभिव्यक्ति के लिए इसमें चुनाव

ही एकमात्र प्रक्रिया है जो शांतिपूर्ण एंव सरल तरीके से सरकार बना सके। लोकतंत्र में नियमित स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनाव लोकतंत्र के **अचूक विशेषता** है, वस्तुतः यह प्रक्रिया लोकतंत्र के दिल की धड़कन है । किन्तु यह बार बार एवं गलत तरीके से नहीं कराया जाना चाहिए। हम भारत के लोग इस बात को लेकर गौरव कर सकते हैं कि इसके पूर्व कहीं भी इतने बड़े संख्या में मानव समाज एक राजनैतिक पहचान के तहत सफलतापूर्व मतपत्र के माध्यम से लगातार सरकारें बदलते रहे है । लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

लोकतंत्र और कानून का राज

लोकतंत्र एवं कानून के राज के संबंधों को नजर अंदाज **नहीं** किया जा सकता है। यद्यपि शासित वर्ग की सहमति स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाज के लिए मूल्यवान है, किन्तु सच्चे अर्थो में कानून के राज्य के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान को वैधता तभी मिल सकती है जब वह वैधानिक व्यवस्था **पर** आधारित हो। किन्तु कानून **का पालन करना** ही प्रयाप्त नहीं है । राजनीतिक व्यवस्था को वैधता भी प्राप्त होना चाहिए। इसें लोगों की आकांक्षाओ को प्रतिलिंबित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। **निरंतर विचार विमर्श की प्रक्रिया एक कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं** । यह कहा जा सकता है कि संविधान वैसे सरकार की व्यवस्था करती है जो लोकतांत्रिक **विधानमंडल** के द्वारा गठित हो**, जिस** के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी हो और जो **आख़िरकार** जनआकांक्षा पर आधारित हो। संवैधानिक एवं कानून का राज्य वैसे लोकतांत्रिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को कायम करने में मदद करता है जिसमें सुव्यवस्थित ढांचे के तहत राजनैतिक फैसले लिए जा सके।

पतन– सुधार की जरूरत

वर्षो से लोकतांत्रिक मूल्यों के स्खलन के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं से प्रतिनिधित्व की वैधता का पूर्ण अभाव हो गया है। जिसके चलते समाज का मनोबल टूट गया ह। संस्थागत सुरक्षा के तहत ही संवैधानिक लोकतंत्र कार्य कर सकता है । इसलिए यह अतिआवश्यक है कि **संस्थाओं को सशक्त बनाया जाये और उचित व्यवस्था की स्थापना की जाये**। यह कहा जा सकता है कि संसद संभवतः मानव जनित सर्वोच्च राजनैतिक खोज है जहां उसकी भावनाएं परिलक्षित होती है और जिसे देश में शासन करने का दायित्व दिया गया है। संसदीय लोकतंत्र में आवश्यक है कि प्रतिनिधि सरकार जनआकांक्षा को सही अर्थों में परिलक्षित करे। आदर्ष लोकतंत्र वही है जो जनभावना के आधार पर चले । इसे सुनिष्चित करने के लिए चुनााव स्वतंत्र स्वच्छ एवं सार्थक होना आवश्यक है।

एक जगह स्वतंत्रता को चाहने वाले लोगों को John Stuart Mill कहते है कि "ऐसे लोकप्रिय प्रतिनिधिक व्यवस्था से क्या लाभ होगा यदि मतदाता सर्वश्रेष्ठ लोगो को संसद में भेजने के प्रति सचेत नहीं रहती है, लेकिन उसे चुनते है जो निर्वाचित होने के लिए सबसे ज़्यादा धन खर्च करता है ? ऐसा प्रतिनिधि **विधानसभा** के लिए कैसे अच्छा काम कर सकता है जिसके सदस्य खरीदे जा सकते हो, **जिन की उत्तेजित प्रवृति स्वशासन और आत्म नियंत्रण से विलीन हो**, ऐसे लोग शांतिपूर्ण बहस में विश्वास नहीं रखते हैं, और वे संसद में ही हिंसा पर उतारू हो जाते है और एक दूसरे पर राईफल तक तान देते है।" **हम सब इस बात की सच्चाई से अव्गद हैं** !

हमारी चुनावी प्रकिया एवं चुनावी राजनीति का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव संवैधानिक लोकतंत्र पर पड़ा है। भ्रष्ट चुनावी व्यवहार, अत्यधिक खर्चीला चुनाव, धनबल एवं बाहुबल का दुरूपयोग हमारे प्रतिनिधिक वैधता को समाप्त कर रहा हैं और लोकतंत्र के अंगों को पूरी तरह नष्ट कर रहा है ।

जनता अब इतनी आक्रोशित हो गयी है कि वह मान बैठी है कि ऐसे दुष्प्रवृतियों से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है इसलिए अब इन दुष्प्रवृतिय **को लोकतंत्र का हिस्सा मानने लगी है**।

इस संदर्भ में Sydney Harris का व्यक्त्य अत्यंत ही प्रासंगिक है जिसमें उन्होंने कहा था "एक बार यदि हमारी अन्तरआत्मा किसी व्यवस्था को आवष्यक दुष्प्रवृतियों (necessary evil) को मान ले तो ऐसी दुष्प्रविृति आहिस्ता –आहिस्ता ज्यादा आवश्यक लगने लगता है और **वो कम हानिकारक लगनै** लगता है। परम्परा के द्वारा गलत कार्य भी सही प्रतीत हाने लगता है। हमारे समय का यही अभिशाप है। भ्रष्टाचार के अभिशाप को विस्तारित व व्यवस्थित परिवर्तन के बिना नियंत्रित नही किया जा सकता है । जिसमें राष्ट्रीय एवं राजनीतिक सहमति अर्न्तनिहित है।

अब चुनावी प्रकिया में सुधार अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि सही अर्थों में स्वच्छ एवं स्वतंत्र चुनाव हो सके और चुनाव जनआकांक्षा को परिलक्षित करते हुए लोकतंत्र को सार्थक एवं गतिमान कर सके।

प्रतिनिधिक वैधता

राजनैतिक दलों की अधिकता और चुनावी परिणाम से यह **स्पष्ट** होता है कि 'first past the post' **प्रणाली में** भारी **मात्रा में सांसद और विधायक अल्पसंख्यक मतों से निर्वाचित होते हैं**। मतदान का प्रतिशत कम होता है। और जो चुने जाते है उन्हे **आमतौर पर** 50 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त रहता है। जिसका यह अर्थ हुआ कि उनके खिलाफ दिए गये मतो ंकी संख्या उनके पक्ष में दिए गये मतों से अधिक था। ऐसा उम्मीदवार भी निर्वाचित हो जाता है जिसे पूर्ण मतदान का मात्र 1 तिहाई मत मिले हो। ऐसे भी उदाहरण होकि जहां 18 प्रतिशत मत पाकर भी उम्मीदवार निर्वाचित हो गये है । औसतन 60 प्रतिशत सांसद अल्पमत पर निर्वाचित होते रहे है । कहा जाता है कि वर्तमान लोकसभा में 68 प्रतिशत प्रतिशत अल्पमत पर निर्वाचित है। विधानसभाओं में औसतन 25 प्रतिशत पर उम्मीदवार सफल हो रहे है।

औसतन 50 से 55 प्रतिशत मतदान होता है। इसका अर्थ हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवारों को विधानसभा के पूरी मतदाताओं की संख्या का मात्र 6 प्रतिशत वोट प्राप्त होता है।

अक्सर मत पाने के लिए अनैतिक रास्ते अपनाए जाते हैं। अनुभव यही बताता है कि **हमारे** विविधताओं से भरी **समाज** में **कुछ** राजनैतिक दल **अपने फायदे के लिए** जातीय एवं साम्प्रदायिक भावना **को बढ़ावा देती हैं** । इसे रोकना अति आवश्यक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जाति सम्प्रदाय भाषा धर्म के नाम पर मतदाताओं से अपील करना भ्रष्टाचार के दायरे में आता है।

यह आष्चर्यजनक है और विडम्बना यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार का वहां के ज्यादातर लोगों ने वोट नही दिया होता फिर यह उम्मीदवार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि अधिकांश मतदाता इन्हे नही चाहते हैं।

यह कहा जा सकता है कि 'first past the post' की प्रणाली निर्णायक तो है लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिनिधिक नही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ज़्यादा वैधता तो है किन्तु इससे पृथक गठबंधनों के बनने की सम्भावना बन जाती है जिससे अस्थिर सरकारें बनती हैं जैसा कि इटली मे है।

50 प्रतिशत +1 निर्वाचित होने के लिए आवष्यक

प्रतिनिधित्व का सिद्वांत कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है यदि निर्वाचित होने के लिए 50 प्रतिशत +1 मत का प्राप्त होना अनिवार्य कर दिया जाए तो। 50 प्रतिशत प्रतिशत +1 का मत प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए यह ज्यादा प्रासंगिक एवं संभव प्रतीत होता है कि सफल निर्वाचन के लिए 40 प्रतिशत मत अनिवार्य कर दिए जाए। और यदि सबसे अधिक मत (कम से कम 40 प्रतिशत) पाने वाले उम्मीदवार तथा उनके निकटतम उम्मीदवार का मत का अंतर 5 प्रतिशत से अधिक हो तब 40 प्रतिशत मत पाने वाले को 50 प्रतिशत +1 मत प्राप्त मान के निर्वाचित **घोषित किया** जाएगा। यदि किसी भी उम्मीदवार का 40 प्रतिशत का न्यूनतम वोट भी प्राप्त नहीं होता हो तब प्रथम दो उम्मीदवारों के बीच पुनः मतदान (run off election) किया जाएगा। मोटे तौर पर यही व्यवस्था फ्रांस में लागू है ।

यह व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक वैधता सुनिश्चित करेगा। ऐसी व्यवस्था जाति, सम्प्रदाय, धर्म एवं भाषा के आधार पर निर्वाचित होने में बाधक भी होगी।

नकारात्मक मतदान

मतदान में नकारात्मक मतदान पर भी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात मतदाता यह अंकित कर सके कि वह किसी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है। यह व्यवस्था अधिकतम मत पाने बाले उम्मीदवार को प्रभावित नही करेगा, किन्तु इस व्यवस्था के रहने से राजनैतिक दल अयोग्य उम्मीदवारों को खड़े करने में संकोच करेगी।

ऐसी व्यवस्था से एक हद तक अच्छे लोग चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। इससे जो वोट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है सभी प्रकार के मतदाताओं का उत्साह मिलेगा।

अनिवार्य मतदान

अधिकतम प्रतिनिधिक वैधता के लिए दूसरा उपाय यह भी है कि मतदान का प्रतिशत बढाया जाए अर्थात अधिक से अधिक मतदाताओं का मतदान सुनिष्चित किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है अनिवार्य परिस्थितियों को छोडकर सभी नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य कर दिए जाएं। मतदान नहीं करने बालों पर कार्रवाई का प्रावधान का विचार किया जाए। विभिन्न देशों में मतदान अनिवार्य है और मतदान नहीं करने पर तरह तरह के दंड का प्रावधान है। मतदान के लिए प्रेरणादायक विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है । भारत के संदर्भ में ऐसा करना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। यह विचारणीय विषय है।

समतावादी मतदान

दूसरा सुझाव यह है कि विजयी उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसा प्रावधान किया जाए की उम्मीदवार को तभी निर्वाचित घोषित किया जाए जब **वो निर्वाचन क्षेत्र** के निर्धारित विभिन्न समूहों के मतदाताओं का न्यूनतम मत प्राप्त **कर ले** । **तथापि** ऐसी परिकल्पना के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। भारत के संदर्भ में समूहों का निर्धारण कठिन है। क्योंकि इनकी संख्या एवं विभिन्नता बहुत है। ऐसी प्रक्रिया **से** मतदाताओं के छोटे समूह अच्छे उम्मीदवारों को veto कर **सकते** है। ऐसी व्यवस्था से बचना चाहिए । इसके लिए पूरे चुनावी प्रक्रिया को नए सिरे से परिवर्तन करना होगा । यह प्रगतिशील विचार है , किन्तु इसके लिए गंभीर बहस एवं विचार की आवश्यकता है।

उपर्युक्त सुधार के सुझाव मतदाताओं की बेहतर सहभागिता सुनिश्चित करेगी और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक वैधता भी प्रदान करेगी।

अपराधीक पृष्ठभूमि –चुनाव के लिए अयोग्यता–

अपराध का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अपराधीकरण पूरी चुनावी व्यवस्था को वस्तुतः निरर्थक एवं अविश्वसनीय बना देता है। अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को चुनाव से अलग रखना चाहिए ताकि निर्वाचन की पवित्रता बनी रहे। वर्तमान कानून में सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है, जिन्हें **अपराधी घोषित किया गया** हो। अभी तक कोई ऐसी समय सीमा नहीं निर्धारित की गयी है जिसके तहत वैसे व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में तेजी लायी जाए जिनके विरूद्व आरोपपत्र दायर किया जा चुका हो। कानून में **संशोधन** करके यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि वैसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है **जिन के** विरूद्व आपराधिक आरोप गठित किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त्त जिन्हें **अपराधी घोषित किया गया** है अथवा **उनके खिलाफ** आरोप पत्र दायर किया जा चुका हो जिस की सजा 5 वर्ष अथवा अधिक हो **उन्हें भी चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए**।

आरोपपत्र दायर **करने के से** एक वर्ष **तक** की छूट दी जा सकती है जिसमें वह आरोप पत्र रद्द करा ले अथवा अंतरिम आदेष प्राप्त करले। हत्या, बलात्कार, डकैती, तस्करी जैसे संगीन अपराधों के लिए सजायाफ्ता व्यक्तियों को किसी राजनैतिक पद के लिए स्थायी रूप से चुनाव लडने से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

धनबल – चुनावी खर्च की सीमा।

चुनावी खर्चो में धनबल का मामला एक गंभीर समस्या है। यह एक गंभीर सत्य है कि आज चुनाव लड़ने के लिए बड़ी राशी की आवश्यकता हो गयी है। खर्च की निर्धारित सीमा निरर्थक हो चुकी है और शायद ही इसे कोई मानता है। अच्छे एंव ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव लडकर विधान सभा में पहुचना कठिन हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई अनिवार्यता ने पूरी व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया है। भ्रष्टाचार के कारण कार्य संपादन का स्तर घटता है और यही समझौतापरस्त शासन के कार्य नहीं करने का कारण बन जाता है। चुनावों में किए गए भारी खर्च से देश की कीमतों पर भी असर पड़ता है। धन के लिए चुनावी अनिवार्यता भ्रष्टाचार का आधार **बन गया हैं** । वर्षो पूर्व राजाजी ने कहा था कि लोकतंत्र को धनबल से मुक्त रखा जाए। आज यह सर्वविदित है कि मतदाताओं के मत खरीदे जा रहे हैं। “जब तक चुनावी प्रक्रिया को धनबल एवं बाहुबल से मुक्त नही किया जाएगा तब तक सच्चा एवं सार्थक लोकतंत्र संभव नहीं हो पाएगा। क्या आज एक आम आदमी जो चाहे जितना लोकप्रिय एंव योग्य हो चुनाव लड़ने को सोच भी सकता हे ?

राजा जी ने यह भी कहा था यदि हम राजनैतिक महत्वाकांक्षा के क्षेत्र में तानाशाही की जगह स्वतंत्रता चाहते हैं, यदि हम योग्यता को पार्टी कोष से मुक्त करना चाहते है, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हम चुनाव को कम से कम खर्चीला कैसे बना सकते है ?” चुनावी प्रक्रिया को परिस्कृत करने के लिए चुनावी खर्च को सीमाबद्व करना अत्यंत आवश्यक है। चुनावी खर्च को सीमाबद्व करने का उद्देष्य

यह है कि कोई भी व्यक्ति अथवा पार्टी/दल चाहे जितना छोटा क्यों न हो समानता के आधार पर चुनाव लड़ सके। ऐसी पार्टी अथवा व्यक्ति जिन्हें असीम साधन उपलब्ध हो वे उन साधनों का दुरूपयोग कर दूसरे उम्मीदवारों एवं दलों के उपर अदेय लाभ एवं प्राथमिकता पा जाते हैं। इसका परिणाम लोकतंत्र विरोधी होता है।

Kanwarlal Gupta case AIR 1975 SC 308 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता व्यक्ति, **दूरदर्शि** विचार रखने वाले महिला एवं पुरूष किसी समाज **को सुधरने के** शक्तिदायक साधन होते है। सहमति से सरकार का अर्थ यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों को समूह मिलने चाहिए जहां वे अपने विचारों को व्यक्त कर सके।

चुनावी खर्चों को सीमाबद्व करने का एक उद्देष्य यह भी है कि चुनावी प्रक्रिया में मोटी रकम के प्रभाव को समाप्त किया जाए। धनी एवं साधन युक्त लोग मतदाताओं का एक बहुत ही छोटा भाग है । बड़ी राशि का प्रभाव चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका अदा करेगा और अंततः यह निकृष्ट प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलाएगा। जो सभी प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देगा। चुनाव उपरांत आश्वासनों के बल पर प्राप्त चुनाव पूर्व प्राप्त चंदा भी अंततः आम आदमी के हितों की प्रतिकूल रूपसे प्रभावित करता है ''भले ही सीधे तौर पर प्रभावित वैधानिक प्रक्रिया में नहीं किन्तु कानून के कार्यान्वयन में और प्रषासनिक एवं नीतिगत निर्णयों में'' । इसलिए चुनावी खर्चे को सीमाबद्व करना आवश्यक हो गया है । दूसरी व्यवस्था चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 में है। चुनावी खर्चे की सीमा **पर पुनः विचार होना चाहिए और ये** बढ़ती हुई कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए। चुनाव आयोग को समय–समय पर चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। वैसे सभी खर्चो को शामिल करना चाहिए जो उम्मीदवार के अलावा राजनैतिक दल , दोस्त , शुभचिंतक एवं उनकी तरफ से चाहे जिस किसी व्यक्ति अथवा कार्यो पर जगत के लोगों ने किया हो । ऐसी सीमा का शक्ति से लागू किया जाना चाहिए और इसके उल्लंघन के दण्ड में चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

निगरानी समितियां

संसद एवं विधानमंडल में अच्छे उम्मीदवारों की जीत सुनिष्चित करने के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह उठाया जा सकता है कि इस के लिए जन समितियां एंव निगरानी समितियां गठित की जाय । जिसकी वकालत लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। दूसरे देश के लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है इंगलैंड में प्रत्येक उम्मीदवार का अनुमोदन क्षेत्रीय समिति से किया जाता है। अमेरिका के भी चुनाव लड़ने के लिए प्राथमिक स्तर पर एक न्यूनतम मतदाता का समर्थन अनिवार्य है। हमारे देश में भी इस बात पर विचार किया जा सकता है कि चुनाव लड़ने के संदर्भ में संसद के लिए 2500 एक विधान सभा के लिए दस हजार मतदाताओं का न्यूनतम समर्थन हो। वैसे यह पहल भी बहस का विषय है।

प्रस्तावित **संशोधन**

यह दिये गए सुझाव सहमति विधियक अधिनियम 1951 एंव चुनाव संचालन नियमावली 1961 में आवश्यक **संशोधन** द्वारा किये जा सकते हैं।

प्रसंगः 50 प्रतिशतप्रतिशत + 1 निर्वाचित के लिए न्यूनतम मत

नियम 64 मे आवश्यक **संशोधन** की **आवश्यकता** होगी।

चुनाव परिणाम की घोषणा और चुनाव का प्रतिफल ।

प्रसंगः नकारात्मक मतदान – प्रपत्र 13 डी (नियमन 24) प्रपत्र **प्रपत्र** 13इ(नियम 27 –एफ) नियम 39(2)(बी) एंव नियम 49एम(3)(बी) Rules – Recording of vote and

voting procedures; 22(2) 27डी(2) 30(2) 49बी(2) ठंससवज paper/balloting unit में **संशोधन** की आवश्यकता है।

प्रसंगः आपराधिक पृष्ठभूमि – चुनाव लड़ने की **अपात्रता** (disqualification for contesting) – अधिनियम के अनुच्छेद 8 में उपयुक्त संशोधन– अपराध साबित होने पर अथवा आरोप पत्र दाखिल होने पर अयोग्यता।

प्रसंगः खर्च की सीमा – अधिनियम की धारा 77 (चुनाव खर्च का लेखा जोखा एंव अधिकतम सीमा) के आवश्यक **संशोधन** की आवष्यकता पड़ेगी।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तरफ विशाल सामाजिक एंव आर्थिक **असमानताए** है । वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक वर्ग के प्रति जनता का अविश्वास एंव उदासिनता । देशवासियों की जोरदार उपेक्षा एंव निर्णय ही अच्छे लोगों की सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति सुनिष्चित कर सकती है । राष्ट्रीय चरित्र के लिए कोई दूसरा विकल्प नही है। अच्छी –से –अच्छी व्यवस्था की सफलता और विफलता उसके लोगों पर निर्भर करती है । राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय चरित्र अत्यंत ही आवश्यक है । व्यक्तिगत चरित्र का उत्थान भी राष्ट्रीय चरित्र को उंचाई प्रदान करता है।

हमारी पीढ़ी को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। यह कहा जाता है कि अच्छी व्यवस्था व्यक्ति को बदल देता है । **जब** राजनीति के बुनियादी कर्त्तव्य **पूरे** होने लगेगे **और** संविधान एवं इसके संस्था को ताकत इसके सच्चे मालिक अर्थात जनता के **पास** वापस **जाएगी** तब स्थितियां बदलने लगेगी । तब **लोकतान्त्रिक ढाचे का मुख्या उद्देश्य** – **के** सभी शक्तियां **अवं अधिकार** जनता में निहित **हो** तथा सभी सार्वजनिक संस्थाएं एंव व्यवस्था को जनहित के लिए कार्यरत **रहे** – **पूरा होगा** । यद्यपि यह लक्ष्य अभी **दूर** है, किन्तु इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन

1 प्रसंगः 50 प्रतिशत +1 मत

नियम 64, चुनाव के परिणाम की घोषणा और चुनाव के प्रतिफल

नियम 64 (ए) में निम्ननांकित जोड़कर संषोधित किया जा सकता ह :

किन्तु कोई उम्मीदवार तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह मतदान किये गए कुल मतों का 50 प्रतिशत+1 मत प्राप्त नही कर लेता। अगर वोटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल करने वाले उम्मीदवार को 50 प्रतिशत + 1 वोट नही मिला है तो ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचित घोषित किया जाने के लिए उसे कम से कम 40 प्रतिशत वोट मिलना चाहिए और वोटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल करने वालो दूसरा उम्मीदवार और 40 प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से अधिक है तो उस उम्मीदवार जिसको 40 प्रतिशत की न्यूनतम वोट प्राप्त हुई है उसे निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।

किसी भी उम्मीदवार को 40 प्रतिशत वोट नही मिलने की स्थिति पर एक run off contest शीर्ष के 2 उम्मीदवार और विजेता के बीच में की जायेगी और उसके बीच के विजेता को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

2 नकारात्मक मत अर्थात 'इनमें से कोई नहीं' (none of the above)

1. प्रपत्र 13'डी' **संशोधन** (प्रसंगः नियम 24 में मतदान का अंकन)

प्रपत्र 13'डी' के द्वितीय वाक्य को ऐसे पढ़ा जाए :

अपने मत को उस नाम के सामने चिन्ह देकर अंकित करें जिन्हें आप मत देना चाहते हैं *अथवा उस शब्द के सामने जहां लिखा हो, "इनमें से कोई नहीं"*।

2. प्रपत्र 13 ई में **संशोधन** (प्रसंगः नियम 27 एफ के तह मतदान का अंकण)

प्रपत्र 13 ई के द्वितीय वाक्य को इस प्रकार पढ़ा जाए :

अपने मत को उस नाम के सामने चिन्ह देकर अंकित करें जिसे आप मत देना चाहते हो *अथवा उस शब्द के सामने जहां लिखा हो, "इनमें से कोई नहीं"*।

3. नियम 22(2) में **संशोधनः** मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लिखे जायें **जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाई गयी हैं** तथा *अंत में 'इनमें से कोई नहीं' शब्द जोड़ दिया जाए।*

4. नियम 27 डी(2) में **संशोधनः** मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लिखे जायें **जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाई गयी हैं** तथा *अंत में 'इनमें से कोई नहीं' शब्द जोड़ दिया जाए।*

5. नियम 30 (2) में **संशोधनः** मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लिखे जायें **जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाई गयी हैं** तथा *अंत में 'इनमें से कोई नहीं' शब्द जोड़ दिया जाए।*

6. नियम 39 (2)बीः मत पत्र पर उस उम्मीदवार के चिहन के निकट एक निशान बनायें जिसे वह वोट करना **चाहते** है *अथवा उन शब्दो के निकट जहां लिखा हो 'इनमें से कोई नहीं'*

7 नियम 49 बी(2) में **संशोधनः** मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लिखे जायें **जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाई गयी हैं** तथा *अंत में 'इनमें से कोई नहीं' शब्द जोड़ दिया जाए।*

8. नियम 49 (एम)(3)(बी): **मतदान यंत्र** पर उस उम्मीदवार के चिहन के **के सामने वाली बटन दबाये** जिसे वह वोट करना **चाहते** है *अथवा उन शब्दो के **सामने वाली बटन** जहां लिखा हो 'इनमें से कोई नहीं'*

3 प्रसंगः आरोप पत्र दायर होने के बाद अयोग्यता

धारा 8 (5) में जोड़ा जाए : *किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर ऐसे आरोप पत्र दाखिल हुए हो जिनकी सजा 5 साल या उससे अधिक है, 10 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाऐ बशर्ते की ऐसे आरोप पत्र दाखिल हुए एक वर्ष का समय बीत चुका है।*

4 प्रसंगः चुनाव खर्च

1. धारा 77 (1) के इस प्रकार संशोधन किया जाय–

सभी उम्मीदवार या तो स्वयं या उनका निर्वाचित अभिकर्त्ता (इलेक्षन एजेंट) *प्रतेक चुनाव के लिए बैंक में खाता खोलेगे* जिसमें वैसे सभी **चुनाव या चुनाव से सम्बंधित** खर्च **पृथक और सही रूप से** अंकित किए जाऐंगे जो उम्मीदवार अथवा **उनकी अनुमति से** उनके अभिकर्त्ता द्वारा *अथवा राजनीतिक दल, अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा (प्राकृतिक या कानूनी)* नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक **किया गया हो**। *सभी खर्चे बैंक खातों के लेखा में अंकित रहेंगे।*

2. 7 धारा 77 (3)को इस प्रकार संषोधित किया जाए–

कुल खर्च निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। *यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते हुए दोषी पाया जाए तो उसे दस वर्षो तक चुनाव लड़ने से वचित कर दिया जाए।*

Note: **सभी संशोधन** *underlined और itaclics font में हैं ।*

राजनीतिक दलों (पंजीकरण एंव गतिविधियों का संचालन आदि) विधेयक 2011

(प्रारूप)

The Political Parties (Registration and Regulation of Affaris etc.) Bill, 2011 (Draft)

चुनावों से भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के गठन, कार्य संचालन, कोष, लेखा, आडिट एवं अन्य गतिविधियों को नियमित करने के हेतु अधिनियम।

जबकि हमारे देश में जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार के स्वरूप को अंगीकृत किया है उसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व अंगीकृत है।

जबकि चुनावों में भ्रष्टाचार, अत्यधिक खर्च, धन शक्ति का दुरूपयोग एवं राजनीतिक दलों पर परिवारवाद के नियंत्रण के कारण, लोकतंत्र एवं उसके आवश्यक मूल्यों का स्खलन हुआ है।

जबकि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक, पारदर्षी ,उत्तरदायी और समीक्षा के लिए खुला रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियों को विनियमित किया जाये। इस संचालन के अंर्तगत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं – पार्टियों की आर्थिक सहायता एवं कोष का संचालन, वित्तीय खातों का नियमित रखरखाव, नियमित आडिट, पार्टी पदाधिकारियों के नियमित चुनाव। इस कानून के अंर्तगत उन पार्टीयों का पंजीकरण रद्द किया जायेगा जो निर्धारित मानदंडों का पालन नही करते। यह पार्टीयां चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जायेगी। भारत के गणतंत्र के 62 वें वर्ष में संसद के द्वारा यह अधिनियम इस स्वरूप में अधिनियमित किया जायेगा :

अध्याय–1

प्रारंभिक

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1. इस अधिनियम को 'राजनीतिक दल (पंजीकरण एंव गतिविधयों का विनियमन)' अधिनियम कहा जा सकेगा।
2. इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा।
3. यह उस तिथि से प्रभावी होगा जब से केन्द्रीय सरकार उसे अधिसूचित करेगी।

2. परिभाषाएं –इस अधिनियम में, जब तक कि यह संन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क). 'स्थानीय निकाय' का अर्थ पंचायत अथवा नगर पालिका है, संविधान के भाग IX और IX A के तहत।

(ख.) 'सदस्य' का अर्थ है राजनीतिक दल का सदस्य ।

(ग.) 'राजनीतिक गतिविधि' के अर्न्तगत निम्नलिखित शामिल हैं:

- कोई भी गतिविधि जो किसी राजनितिक दल के लक्ष्य एंव उद्देश्य को प्रचारित एंव प्रोत्साहित कर रहा हो।
- राजनितिक प्रवृति के सवालों/मुद्दों पर आयोजित बैठक, प्रदशन और जूलुस
- उपरोक्त कार्यो के हेतु जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश जारी करना, अन्य तरीकों से कोष संग्रह एंव वितरण करना।

- और इसके अलावा उक्त कार्यों यदि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के हेतु किया जा रहा हो जो स्थानीय निकाय, संसद अथवा विधान मंण्डल का चुनाव लड़ रहा हो।

(घ)'राजनीतिक दल' का अर्थ है 18 वर्ष की आयु से उपर के व्यक्तियों का संघ अथवा निकाय जो एक समान राजनीति लक्ष्य एंव विचारधारा की पूर्ति के लिए संसद, विधानमंडल एंव स्थायी निकायों के लिए चुनाव लड़ने को इच्छुक हो।

(ड़) 'निर्धारित' का अर्थ इस अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्धारित करना है।

(च) 'रजिस्ट्रार/पंजियक' का अर्थ है अनुभाग 3 के अंर्तगत राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रार/पंजियक है।

(छ) 'धार्मिक संस्था' का अर्थ किसी भी धर्म अथवा प्रतीतीकरण के बढ़ावे के लिए संस्था है। इसमें शामिल है कोई जगह व परिसर जो सार्वजनिक पूजा के लिए उपयोग किया गया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी नाम अथवा उपाधि से ज्ञात हो।

(ज) जो शब्द अथवा अभिव्यक्ति इस अधिनियम में उपयोग की गई है और जिनकी परिभाषा इस अधिनियम के अंर्तगत नही दी गई है, लेकिन जिसकी परिभाषा भारत के संविधान अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, (अधिनियम 1950 का 43) अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत बनाये गये (अधिनियम 1951 का 43) नियमों में दी गई है, इस अधिनियम हेतु उर्पयुक्त अधिनियमों में दी गई परिभाषा उपयोग की जायेगी।

अध्याय–2

राजनीतिक दल

3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण– भारत के संविधान की धारा 324 के तहत नियुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों के पंजीयक होगे। उन्हें केन्द्र एवं राज्य के स्तर पर निर्वाचन आयुक्त के पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

4. राजनीतिक दलों की संरचना 1. भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राजनीतिक दल का गठन कर सकता है तथा किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, परन्तु निम्नांकित में से कोई अपने सेवरत रहते किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता है–

(क.) भारत के सशस्त्र सैनिक बलों के सदस्य।

(ख) केन्द्र एंव राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, इसमें शामिल है केन्द्र एंव राज्य के न्यायिक सेवा एवं कानुनी सलाहकार ।

2.कोई भी राजनीतिक दल भारत की अखंडता, संप्रुभुता एंव एकता के हितों के खिलाफ कोई गतिविधि नही चलायेगा।

3.सभी दलों का अपना लिखित संविधान होगा, चाहे उसका नाम कोई भी हो। जिसमें उसके लक्ष्य एंव उद्देष्य तथा इस अधिनियम में उल्लिखित बिषय परिभाषित रहेंगे। राजनीतिक दलों के लक्ष्य एंव उद्देष्यों के तहत किसी भी सदस्य के साथ वर्ग, जाति, संप्रदाय, पंथ, भाषा अथवा निवास स्थान के आधार पर भेद– भाव नहीं किया जा सकेगा। किसी भी दल की नीतियों के लक्ष्य एंव उद्देष्य भारत के संविधान के प्रावधानों से असंगत अथवा अलग नहीं होंगे। राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह घोषणा करनी होगी कि वह भारत की संप्रभुता एंव एकता में विश्वास रखता है और वह भारत के संविधान के बुनियादी सिद्वांतों को अक्षुण्ण रखेगा।

4. कोई राजनीतिक दल राजनीतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एंव प्रचार के लिए निम्नलिखित उपयोग नहीं करेगा :

(क.) कोई समारोह, उत्सव, जमघट, जुलूस अथवा सभा जिसका आयोजन धार्मिक संस्थान द्वारा अथवा उसके तत्वावधान में किया गया हो ।

(ख.) कोई सम्पत्ति अथवा परिसर् जिसका नियंत्रण धार्मिक संस्थाओं के अधीन हो।

5. कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कोई काम नही करेगा जो विभिन्न धार्मिक समूह भाषा अथवा जाति समुदाय में असमानता, शत्रुता एंव बैर की भावना को बढ़ावा एंव बढ़ावा देने का प्रयास करे।

6. राजनीतिक दलों का गठन राष्ट्रीय एंव राज्य दोनों स्तरों पर हो सकेगा।

5. राजनीतिक दलों का संविधान

राजनीतिक दलों के संविधान में निम्नांकित बिषयों के प्रावधान होगें–

(क.) दल का नाम एवं नाम का संक्षिप्त रूप (अगर उपयोग मे हो तो) तथा दल के लक्ष्य एवं उद्देष्य

(ख) राजनीतिक दल के संविधान, नियमों एवं उपनियमों में उल्लखित उद्देष्यों एवं आदर्षों से अंगीकार करते हुए दल की सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए सदस्यता की स्वीकृति एंव घोषणा

(ग) सदस्यता शुल्क, निष्कासन एंव त्यागपत्र सहित दलों की सदस्यता एंव भर्ती की शर्तें

(घ) सदस्यों के अधिकार कर्त्तव्य एंव दायित्व

(ड). किन आधारों पर किनके द्वारा तथा किस प्रकिया के तहत सदस्यों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा दंड दिया जा सकेगा

(च) स्थानीय इकाई यथा–राज्य, जिला, तालुक तथा ग्रामीण स्तर की ईकाई की संरचना एंव उनके उपर नियंत्रण सहित दल का सामान्य संगठन

(ड) दलों के पदाधिकारियों के निर्वाचन के सिंद्वांत एवं प्रक्रिया

(ज) कार्यकारिणी समिति जो (कोई भी नाम से भी जाना जाएगा) एंव अन्य सांगठनिक अंगों का गठन एंव अधिकार

(झ) किस प्रकार सामान्य सभा की बैठक की मांग की जा सकेगी, कैसे संचालन होगा तथा दलों को बनाये रखने, विलयन करने एंव संगठन संबंधी अन्य बुनियादी विषयों पर बैठक की मांग और संचालन करने की प्रक्रिया

(ज्ञ.) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दलों का वित्तीय संरचना का स्वरूप एंव विषय वस्तु

(ट) पंजीयत के द्वारा निर्देशित प्रणाली मे वित्तीय खातों का रखरखाव

(ठ) पंजीयक के द्वारा निर्देशित एंव प्रावधानिक सभी अन्य विषय

(2.) प्रत्येक राजनीतिक दल सदस्यों का पंजी रखेगा, जिसमें निर्धारित ब्यौरें अंकित रहेंगे । दलों के स्थानीय ईकाई नये सदस्यों की भर्ती कर सकेगें, किन्तु उन्हें समय –समय पर राज्य ईकाई को नये सदस्यों की सूची भेजनी पड़ेगी। राज्य ईकाई को सदस्यों की साम्यिक पंजी रखनी होगी।

(3) प्रत्येक राजनीतिक दल के यह पदाधिकारी होंगे– अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एंव अन्य पदाधिकारी जो पार्टी रखना उचित समझे

(4) प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने धन का उपयोग केवल अपने संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करेगा जो भारत के संविधान के प्रतिकूल नही होगा

(5) प्रत्येक राजनितिक पार्टी भारत क्षेत्र में चल और अचल सम्पत्ति को अधिकृत एंव प्रवृत्त करने में सक्षम है

(6.) राजनीतिक दल अपने नाम से मुकदमा कर सकती है तथा उसके विरूद्व मुकदमा किया भी जा सकता है। राजनीतिक दल के पक्ष एवं विपक्ष में सभी वाद–विवाद गतिविधियों में कागजात एवं पत्राचार को सत्यापित करने की ज़िम्मेवारी सचिव (या ऐसे उचित पदाधिकारी जिसे पार्टी उचित समझे एंव विधिवत अनुसूचित करे) लेंगे। ये ही राजनीतिक दल के सम्पूर्ण संप्रषण–जैसे कि कानूनी एंव अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित– जारी करेंगे।

(ढ) दल का नाम किसी दूसरे पूर्ववत राजनीतिक दल से अलग होगा। चुनाव तथा चुनाव प्रचार में पंजीयक द्वारा पंजीकृत नाम अथवा उसका संक्षेप ही प्रयोग में लाया जायेगा। और जिनके अनुमोदन पंजीयक से प्राप्त रहेगां।

6.राजनीतिक दलों का पंजीकरण

1. (क) राजनीतिक दल पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन देगा।

(ख) प्रत्येक आवेदन पत्र इस प्रकार दिए जाऐंगे।

1. यदि दल अथवा इकाई के पद का अस्तित्व हो तो इस अधिनियम के प्रभावी होने के 60 दिनों के अंदर
2. यदि दल अथवा नियम इसका अधिनियम के प्रभावी होने के बाद नहीं गठित होता है तो 30 दिनों के अंदर।

(ग) उपर वर्णित उपखण्ड (1) के तहत आवेदन पत्र दल के सभी पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा और दल अथवा निकाय के सचिव द्वारा पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अथवा निबंधित डाक से प्रेषित किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक आवेदन पत्र के निम्नांकित विवरण अंकित रहेंगे

1. दल अथवा निकास का नाम
2. राज्य का नाम जिसमें मुख्यालय अवस्थित होगा

3. पत्राचार का पता

4. अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं आवश्यक पदाधिकारियों के नाम, आयु, पेशा एवं पता।

5. .सदस्यों की संख्या और यदि एक से ज्यादा श्रेणी के पदाधिकारी हो तो प्रत्येक श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या

6. क्या दूसरी क्षेत्रीय इकाईयां है यदि हैं तो किन–किन स्तरों तक दल की ईकाईयां है तथा उनका पता क्या है ?

7. क्या दल के सदस्य अथवा सदस्यों का प्रतिनिधि संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल में है यदि हां तो उसकी संख्या ।

8. आवेदक द्वारा इस बात की घोषणा हो कि उसने इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भविष्य में भी करते रहेगे।

(ड़) धारा (क) के अर्न्तगत समिति के आवेदन पत्र के साथ दलों का संविधान, नियम एवं उपनियम संलग्न रहेगा। जिसमें यह विषिष्ट प्रावधान रहेगा कि राजनीतिक लामबंदी और राजनीतिक पदों पर उम्मीदवारों के वर्ग, जाति, आयु अथवा निवास स्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सभी श्रद्वा और निष्ठा रखेंगे तथा इमानदारी ,समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के सिंद्वांत को अंगीकार करेंगे और भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाये रखेंगे।

(च) पंजीयक दल अथवा निकास से आवश्यकतानुसार अन्य विवरण भी मांग सकता है तथा दल के संविधान नियम अथवा अधिनियम के प्रावधान में संशोधन के लिए निर्देष दे सकता है।

(छ) सभी विवरणों तथा सदस्यता शुल्क के औचित्य सहित सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार करने तथा दल अथवा निकाय के प्रतिनिधियों को उचित अवसर देकर सुनवाई करने के उपरांत पंजीयक के इस अधिनियम के तहत दल अथवा निकास के राजनीति दल के रूप में निबंधित करने अथवा नहीं करने के संबंध में निर्णय लेकर अपने निर्णय को दल अथवा निकाय को सूचित कर देगे। कोई दल तब तक राजनीतिक दल नहीं होगा जब तक कि उसका संविधान नियम एंव उपनियम इस अधिनियम के अनुरूप नहीं होगे। पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा।

(ज) दल अथवा निकाय के निबंधन के उपरांत नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पता अथवा किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना अविलंब पंजीयक को देनी होगी।

2. कोई भी राजनीतिक दल संसद, विधान मंडल अथवा स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने के लिए योग्य नही होगा जब तक इस नियम के तहत उसका पजींकरण नही हो जाता

7. कार्यकारिणी समिति एंव स्थानीय समितियां

1.प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी। राजनीतिक दल की कार्यकारिणी समिति का चुनाव राज्य ईकाई की स्थानीय समिति करेगी अथवा संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसका गठन होगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्य दल के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। सदस्यों को मनोनीत करना निषिद्ध कर दिया जायेगा।

2. सभी स्थानीय इकाई के लिए एक स्थानीय समिति होगी। स्थानीय समिति का चुनाव उसके एक स्तर नीचे की ईकाई के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा जाएगी अर्थात् राज्य इकाई की कार्यकारिणी समिति का चुनाव जिला स्तर की ईकाई के द्वारा किया जायेगा और इसी प्रकार अन्य स्तरों पर कार्यकारिणी का चुनाव होगा। सबसे नीचे की इकाई का चुनाव उसी इकाई के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

स्थानीय इकाई के सदस्य अपने मे ंसे भी पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। समिति के सदस्यों के मनोनयन की प्रथा निषिद्व कर दी जाएगी।

3. कार्यकारिणी समिति एंव स्थानीय समितियों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। कार्यकाल समाप्त होने में प्र्याप्त समय रहते हुए नयी समितियों के चुनाव के लिए कदम उठाये जाएगे। कार्यकारिणी समिति नियमित एंव महत्वपूर्ण और कार्य के लिए उपसमिति (नाम जो भी हो) का गठन करते हुए आवश्यकतानुसार कार्य करेगी। कार्यकारिणी के सदस्य अपने से ही चुने गये सदस्यों के द्वारा उपसमिति का गठन करेंगे।

4. किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी दो बार से ज्यादा दल के पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। कोई भी पदाधिकारी जो एक से अधिक बार पदाधिकारी रह चुका हो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले पुन पदाधिकारी नहीं बन सकेगा । किसी राजनीतिक दल के किसी भी सदस्य को आजीवन पदाधिकारी नही घोषित किया जा सकेगा।

5.कार्यकारिणी समिति एंव स्थानीय समितियां फैंसले लेने तथा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए सामान्य बहुमत का आधार लेंगी चुनाव के दस दिनों के अदर प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारी का नाम, उम्र, पेशा एंव मत की सूची की सूचना निबंधन डाक द्वारा पंजीयक को दी जाएगी।

6.कार्यकारिणी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि समय सीमा समाप्त होने से पहले प्र्याप्त समय रहते हुए कार्यकारिणी सामिति एंव स्थायी समिति के चुनाव सहित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाये। पंजीयक अपनी इच्छा से अथवा किसी सदस्य की शिकायत के आधार पर इन चुनावो के लिए पर्यवेक्षकों को भेज सकता ळें

8. संसद का चुनाव आदि

1. संसद के दोनों सदनों के उम्मीदवारों का चुनाव कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें राज्य इकाईयों की अनुषंसा के पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा। इस

प्रकार विधान मंडल के दोनों सदनों के उम्मीदवारों का चुनाव कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जायेगा जिसमें राज्य इकाई एंव प्रासंगिक क्षेत्र की स्थानीय इकाईयों की अनुषंसा पर भी समुचित ध्यान दिया जायगा। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन उस निर्वाचन क्षेत्र की सर्वोच्च इकाई के द्वारा किया जायेगा।

2. किसी सदस्य के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने से संसद अथवा विधान मंडल के रिक्त पद पर कोई भी पार्टी उस उममीदवार को सदस्य नहीं बना सकेगी, जिनके त्यागपत्र के कारण रिक्ति हुई हो।

3. कोई भी राजनीति दल ऐसे उम्मीदवार को प्रयोजित नहीं करेगा अथवा टिकट नहीं देगा जिसे किसी अपराध के तहत किसी न्यायालय द्वारा पांच वर्ष अथवा अधिक की सजा हो गयी हो।

4. काई भी राजनीतिक दल किसी सदन अथवा स्थानीय निकाय की अवधि खत्म होने के तीन माह के अंदर मतदाताओं को उनकी इकाई के बीच कोई निजी सामग्री वितरित नहीं करेगा अथवा करवाएगा।

9. सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दी जाने बाली सुविधाएं—यदि कोई लोक प्राधिकरण किसी राजनीतिक दल को कोई सार्वजनिक सुविधा अथवा सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है तब उसे सभी दलों से समान व्यवहार करना होगा। ऐसी सुविधाओं अथवा सेवाओं का परिमाण राजनैतिक दलों के महत्व तथा उनकी आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया अथवा घटाया जाये। राजनीतिक दलों के महत्व का निर्धारण ही लोक सभा अथवा विधान सभा के चुनावों के परिणाम के आधार पर किया जायेगा। सार्वजनिक सेवा कीसुविधा सिर्फ चुनाव एंव चुनाव प्रचार के विधि के लिए दी जाए। इस धारा के प्रसंग में चुनाव प्रचार की अवधि मतदान के पूर्व के 14 दिनों की मानी जाएगी।

अध्याय–3

कोष

10. दल का कोष

1. केंन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर राजनीतिक दल के कोष की निगरानी एंव नियंत्रण का दायित्व, दल के कोषाध्यक्ष में चिह्नित होगा और वह इसके लिए पूरे तौर पर अकेला उत्तरदायी होगा। यदि वह आवश्यक समझे तो दलों की कार्यकारिणी समिति की सहायता से सहायक कोषाध्याक्ष के पद की नियुक्ति कर सकेगा।

2. कार्यकारिणी समिति अपनी एंव स्थायी ईकाईयों के लेखा–जोखा का संधारण सुनिष्चित करेगी जिसमें सभी प्राप्तियों एंव खर्च स्पष्टता से प्रदर्षतिपत होगें। वित्तीय वर्ष के आधार पर लेखा निर्धारित पुस्तको एंव पंजी में अनुरक्षित होगा। कार्यकारिणी समिति पंजीयक द्वारा चयनित सूची के किसी चार्टड लेखापाल के द्वारा अंकेक्षण कराएगी। अंकेक्षित लेखा– जोखा का प्रत्येक वर्ष प्रकाशन कराया जाएगा और पंजीयक के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीयक पार्टी अथवा स्थानीय ईकाई के लिए किसी भी वर्ष का विशेष अंकेक्षण भी कर सकेगा।

3.दल के लेखा –जोखा का निरीक्षण सदस्य भी कर सकेगा और लेखा–जोखा अथवा उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकेगा।

4. दल का कोष किसी अधिसूचित बैक में रखा जाएगा। बैंक खाता की संख्या की सूचना खाता खोलने के एक माह के अंदर पंजीयक को देनी होगी ।

11. चंदा

1. निम्नांकित साधनों को छोड़ कर कोई दल किसी भी कम्पनी संघ, संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिये गये दान को स्वीकार कर सकेगी।

    1. विदेशी नागरिको अथवा विदेशी सरकार।

2. भारत की सीमा के बाहर निबंधित कोई संघ अथवा संगठन

3. वैसे संघ, संगठन अथवा समूह जिसे विदेशी नागरिकों अथवा अन्य सुत्रों से विदेशी कोषा प्राप्त होता है।

4. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा को छोड़कर किसी कारपोरेट निकायों अथवा कंपनियों द्वारा दिया जायेगा।

5. सांप्रदायिक अथवा राष्ट्रविरोधी सूत्र।

6. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार सहित वैसी कम्पनियां, निगम अथवा अन्य संगठन जिनहें सरकार से सहायता मिली हो।

7. नामरहित दाता

8. वैसी कम्पनी जिसका अस्तित्व तीन वर्षो से कम का हो, ऐसे कोई भी साधन जिनका उल्लेख पंजीयक द्वारा किया गया हो।

2. सदस्यता शुल्क सहित सभी प्राप्त राषि के लिए कोषाध्यक्ष द्वारा रसीद दी जाएगी। उसी तरह सभी खर्च के लिए अभिश्रव (voucher) साथ में रहेगा। रसीद बही एवं अभिश्रव बही रखा जाएगा।

3. किसी भी कम्पनी द्वारा दी गई राशि अथवा औसत राशि उस कम्पनी के पूर्ववती तीन वर्षो के औसत लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। यह औसत लाभ कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होना चाहिए।

4.पूर्वगामी उपबधों के किसी अन्य बात के रहते हुए भी सभी दान एंव साधन को सार्वजनिक किया जाएगा। चेक नगद, अथवा सामग्री द्वारा दिये गए सभी दान के दाताओं का स्थायी लेखा –संख्या (PAN) लगाना होगा।

5.किसी भी पार्टी पदाधिकारी को दिया गया उपहार एवं दान पार्टी को दिया गया उपहार अथवा दान समझा जाएगा। इन्हें प्राप्त करने के 5 दिनों के अंदर दलों के कोषाध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

अध्याय–4

दंड

12. पंजीयक द्वारा जांच

1. किसी राजनीतिक दल द्वारा कार्यकारिणी समिति एवं स्थाानीय समितियां का समय पर चुनाव नहीं करान सहित इस अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने अथवा उल्लंधन करने की सूचना मिलने पर ....संज्ञान लेकर पंजीयक जांच कर सकेग। जाच के उपरांत यदि पंजीयक संतुष्ट हो जाए कि किसी भी दल ने इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाये नियमों का अनुसारण नहीं किया है अथवा उल्लंघन किया है तो पंजीयक इसके निराकरण के लिए साठ दिनों का समय दे सकता है।

2.यदि साठ दिनों के अंदर अनुपालन .नहीं हुआ अथवा उल्लंधन के लिए कारणों का निराकरण नहीं हुआ तो पंजीयक ऐसे मामले में प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रू0 जुर्माना सहित जैसा उचित समझे दंड दे सकेगा। सफाई देने के अवसर देन के बाद एक निर्धारित अवधि के लिए दल का निबंधन कभी भी वापिस लिया जा सकेगा।

3 किसी पार्टी का पदाधिकारी अथवा सदस्य यदि अनुच्छेद (1) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके कोई चंदा अथवा दान स्वीकार करता है तो वह तीन वर्ष तक की सजा का भागीदार होता है और उसे जुर्माना भी हो सकेगा जो दान अथवा चंदा के प्राप्त राषि से तीन गुणा से कम नहीं होगा।

4. कोई राजनीतिक दल जो एक से अधिक बार आम चुनाव के संसद अथवा विधान मंडल के किसी सदन का चनाव नहीं लड़ता उसका निबंधन समाप्त किया जायेगा और उसे पंजीयक द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। यह अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है।

5. यदि पंजीयक किसी सूचना के आधार पर अथवा स्वविवेक से धारा 10 के उपधारा 2 के तहत समर्पित लेखा के किसी विवरण को असत्य पाता है तब वह कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा शुरू करने के अतिरिक्त जुर्माना भी कर सकता है।

6.उपधारा (5) कें तहत पारित आदेश को सार्वजनिक जानकारी के लिए पंजीयक के निर्देष से समाचार पत्रों एंव अन्य मीडिया में प्रकाषित किया जा सकेगा।

7.यदि कोई राजीतिक दल धारा 10 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहता है तब आयकार अधिनियम 1961 (1961 का अधिनियम 43) के तहत उस राजनीतिक दल को छूट नहीं मिलेगी।

अध्याय–5

विविध

13. लोक प्राधिकरण– सूचना के अधिकार 2005 (2005 का अधिनियम 22)

राजनीतिक दल को लोक प्राधिकरण माना जायगा।

14. (1) नियम बनाने की शक्ति (1) केन्द्रीय सरकार पंजीयक से सलाह के उपरांत सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2). केन्द्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाये गये प्रत्येक नियम को संसद के दोनो सदनो के समक्ष 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा जिसमें एक या एक से अधिक सत्र सम्मिलित हो सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन नियमों के कुछ संशोधन लाते हो अथवा नियम स्वीकृत करने में असहमत हों तो वह नियम संशोधित रूप में प्रभावकारी होगा अथवा अप्रभावकारी हो जायेगा, किन्तु संशोधन अथवा रद्द होने का प्रभाव पूर्व में उप नियम के तहत किये गए कार्यो पर नहीं पड़ेगा।

15. अच्छी भावना से की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई जो इस भावना से की गई हो, इसके लिए केद्र सरकार, राज्य सरकार, पंजीयक अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई मामला मुकदमा अथवा कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

16. अधिनियम का दूसरे अनिनियमों पर प्राथमिकता

इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के प्रावधानों से विसंगति पूर्ण रहते हुए भी प्रभावकारी होंगे।

17. संक्रमणकालीन प्रावधान

सभी राजनीति दल अधिनियम के लेखा से संबंधित प्रावधानों को अनुपालन अधिनियम के प्रभावकारी होने के बाद वाले 31 मार्च से करेगा तथा अन्य प्रावधानों का अनुपालन लागू होने के 6 महिने के अंदर करने लगेंगें।

18 निष्प्रभावीकरण –जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 –(1951 का 3 वीं अधिनियम) एतदर्थ निष्प्रभावी किया जाता है।

समाप्त

"दुनिया का कोई भी पद नागरिक होने से बड़ा नहीं होता"

फेलिक्स फ्रॅंकफर्टर

ADR

ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स
किवानिस सेंटर, बी–35, चौथा तल
कुतूब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली–110016
टेलीफोनः 011–40817601, फैक्सः 011–46094248
ई–मेलः adr@adrindia.org
वैबसाईटः www.adrindia.org; www.myneta.info